6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-(03592-251212, 251415, 251656
टेलेफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और गंगटोक (उत्तरपूर्व) द्वारा वर्ष 2016 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2016)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. (03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

Ref. No: SU/2011/REG-03/DC-US-001/1644/[illegible] **Date:**[illegible]**.Oct 2016**

NOTIFICATION ९० **/2016**

Subject: **Constitution of Eviction Committee- Regarding**

It has come to the notice that at times University orders eviction of student(s) from the hostel on account of misconduct. In order to implement the eviction process immediately, Vice-Chancellor is pleased to constitute an Eviction Committee as under for evicting any student from the hostel on the basis of orders of the University by following due procedure for eviction.

1. Provost
2. Warden of concerned hostel
3. Security Consultant (In-case of Boy's hostel)/
   Security Supervisor (In-case of Girl's hostel

Above mentioned Eviction Committee will be for a period of one year from the date of this notification.

Tej Kishan Kaul
(T.K.Kaul)
REGISTRAR
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

Distribution:

1. PS to VC for information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. Librarian
6. All Deans of Schools of Studies
7. Dean Student's Welfare
8. Provost
9. All Wardens of the Hostels
10. All Heads/In-charge of Departments
11. All Prefects of the Hostels
12. Security Consultant
13. Security Supervisor
14. Uniform Management Unit
15. Guard File

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-(03592-251212, 251415, 251656
टेलेफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.iin

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और गंगटोक (उत्तरपूर्व) द्वारा वर्ष 2016 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2016)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. (03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

संदर्भ सं: SU/2011/REG-03/DC-US-001/1644/[illegible] **दिनांक:**[illegible]**.अक्टूबर 2016**

अधिसूचना ९० **/2016**

विषय : निष्कासन समिति के गठन के संबंध में

यह देखा गया है कि कभी-कभी विश्वविद्यालय छात्रों के कदाचार के कारण छात्रावासों से छात्रों को निष्कासित करने हेतु आदेश देता है। निष्कासन प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव करने के उद्देश्य से कुलपति महोदय ने निष्कासन की विधिवत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विश्वविद्यालय के आदेशों के आधार पर छात्रावास से किसी भी छात्र को निष्कासित करने के लिए निम्नानुसार एक निष्कासन समिति का गठन किया है।

1. प्रोवोस्ट
2. संबंधित छात्रावास के वार्डन
3. सुरक्षा परामर्शदाता (लड़कों के छात्रावास के मामलों में)/
   सुरक्षा पर्यवेक्षक (लड़कियों के छात्रावास के मामलों में)

उपर्युक्त निष्कासन समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन डिस्पार्टमेंट के डीन
7. छात्र कल्याण डीन
8. प्रोवोस्ट
9. सभी छात्रावासों के वार्डन
10. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
11. सभी छात्रावासों के प्रिफेक्ट
12. सुरक्षा परामर्शदाता
13. सुरक्षा पर्यवेक्षक
14. यूनिफार्म मैनेजमेंट यूनिट
15. सुरक्षा फाइल